न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश लक्ष्मणगढ जिला अलवर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : गोपाल सैनी (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण सं. – 26/2018
सी.आई.एस. नम्बर – 23/2018

राजस्थान सरकार जरिए अपर लोक अभियोजक लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर

बनाम

लेखराम पुत्र श्री मूलचन्द उम्र करीब 35 साल, निवासी ग्राम रोनीजा जाट थाना लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर (राज0)

..... **अभियुक्त**

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 182, 211 भा.द.सं.</u>

उपस्थित :–

1. श्री अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से
2. श्री कमलेश कुमार सोनी, अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से

– निर्णय – **दिनांक 30.03.2026**

1. प्रस्तुत प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि थानाधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा एक परिवाद अन्तर्गत धारा 182, 211 भा.द.सं. विरूद्ध अभियुक्त लेखराम पुत्र मूलचन्द अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 09.06.2014 को एक परिवाद 156(3) सीआरपीसी का जरिए डाक न्यायालय श्रीमान एसीजेएम लक्ष्मणगढ से लेखराम द्वारा प्रस्तुत इस आशय का प्राप्त थाना हुआ कि दिनांक 16.05.14 को रात्रि करीब 8 बजे की बात है कि मेरी बहिन संतरा उम्र करीब 16 साल जंगल होने के लिए गांव के पास गोडावाले खेत पर गयी थी तो पीछे से मौका पाकर मुलजिम इन्दर पुत्र रामसहाय निवासी रोनीजा जाट मौके पर पहुंच गया और मेरी बहिन को पीछे से पकड़ लिया और उसे बाथ में ीारकर जमीन में पटक लिया तथा उसके कपड़े फाड़ दिये। मेरी बहिन चिल्लाने लगी तो उसका मुंह बंद कर दिया तथा उसे चाकू निकाल कर दिखाया कि तूने हल्ला किया तो अभी तुझे जान से खत्म कर दुंगा तथा मेरी बहिन की सलवार का नाला तोड़कर जबरन उसे डरा धमका कर उसके साथ बुरा काम बलात्कार कर दिया। मेरी बहिन रोती

चिल्लाती हुई घर पर आयी तथा उसने हमें सारी घटना बताई। उक्त घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराने गये तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की तथा उसने पूर्व से भी दिनांक 09.04.14 की रात्रि में मेरी बहिन के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी, लेकिन पता चल जाने पर भाग गया ..... आदि पर मुकदमा नं. 231/14 धारा 376,323 भा.द.सं. में कायम कर तफतीश अमल में लाई गई। दौराने तफतीश घटना स्थल का का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका कसीद किया गया, बयानात गवाहन लिये गये। प्रकरण हाजा में अनुसंधान, एफआईआर, मेडिकल रिपोर्ट व बयान 164 जा.फो. पीड़िता, बयानात गवाहन व मुस्तगीस व आरोपी के बीच चल रहे विवाद के रिकॉर्ड की फोटो प्रति, कॉल डिटेल, एलानिया व खुफिया जांच तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य से पाया गया कि मुस्तगीस मुकदमा व आरोपीगण के बीच पिछले काफी समय से आपसी मारपीट के झगड़े को लेकर मन–मुटाव व रंजिश चली आ रही है और इसी कारण से मुकदमा हाजा के आरोपी पक्ष के विरूद्ध आये दिन तरह–तरह के मनगढन्त घटना बनाकर झूठे मुकदमे दर्ज कराते चले आ रहे हैं। जिनमें एफआईआर नं. 23/14,49/14,186/14,188/14 थाना लक्ष्मणगढ पर दर्ज हुए हैं। दिनांक 09.04.14 व 16.05.14 की मनगढन्त कहानी बनाकर मुस्तगीस द्वारा अपनी बहिन कु. संतरा के साथ आरोपी इन्दर के द्वारा जंगल जाते समय खेतों में बलात्कार की घटना व दिनांक 09.04.14 की रात्रि में भी मुस्तगीस ने अपनी बहिन के साथ बलात्कार करने का प्रयास करने की घटना दर्ज करा दिया। जबकि आरोपी इंदर दिनांक 09.04.14 को गांव रोनीजा जाट में नहीं था तथा दिनांक 09.04.14 को मत्स्य पी.जी. कॉलेज बानसूर में प्रथम वर्ष कैमेस्ट्री का पेपर देकर अलवर अपने साथ कमल के साथ कमरे पर था तथा दिनांक 16.05.14 को भी आरोपी अपने गांव नहीं था जो शादी में गांव बहादरपुर में दिनांक 10.05.14 से दिनांक 18.05.14 तक रहा, घटना को किसी भी गवाहन ने ताईद नहीं किया है तथा पूर्व में भी नोटेरीशुदा शपथ पत्र घटना नहीं होने बाबत पेश किया था जो शामिल पत्रावली है। केवल बयान 164 जा.फो. में पीड़िता ने आरोपी के द्वारा जंगल जाते समय खेत में पकड़ लेने व चाकू दिखाने व सलवार का नाड़ा तोड़ना अंकित कराया है, अपने साथ गलत काम नहीं करना बताया है तथा अपने भाई के द्वारा की गयी रिपोर्ट को झूठी होना ताईद किया गया तथा बयान 164 जा.फो. में राजीनामा होने पर पैसे की लेन–देन हो जाने का कथन किया है। मुस्तगीस मुकदमा व उसकी बहिन. कु. संतरा ने

अनुसंधान के दौराने अपने–अपने हस्ताक्षर युक्त एक प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र घटना नहीं होने बाबत पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये, जो भी मुकदमा के अनुसंधान को ताईद करते हैं। मुकदमा हाजा की संपूर्ण तफतीश से आरोपी द्वारा मुस्तगीस की बहिन कु. संतरा के साथ बलात्कार करना नहीं पाया गया है। इस प्रकार संपूर्ण अनुसंधान व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य से मामला अदम वकु आमदन झूठ का होना पाया जाता हे। अतः मुकदमा हाजा में एफआर नं. 309/14 अदम वकु आमदन झूठ में किता कीजाकर वास्ते मंजूरी माननीय एसीजेएम न्यायालय लक्ष्मणगढ में पेश गया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अनुसंधान को सही माना जाकर नतीजा एफआर दिनांक 07.10.14 को स्वीकार किया गया। इस प्रकार मुकदमा के परिवादी श्री लेखराम पुत्र मूलचन्द द्वारा झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई जाकर पुलिस व न्यायालय का अनायास ही समय बर्बाद किया एवं लगाये गये आरोपित व्यक्तियों के विरूद्ध झूठे आरोप लगाये जाकर उनको भी प्रताड़ित किया गया। इस प्रकार गैर सायल लेखराम पुत्र मूलचन्द के विरूद्ध धारा 211, 182 आईपीसी में कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ... इत्यादि परिवाद अभियुक्त लेखराम के विरूद्ध धारा 182, 211 भा.द.सं. के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तत्पश्चात इस प्रकरण को सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण इस न्यायालय को उपार्पित किया।

2. इस न्यायालय द्वारा यह प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं दिनांक 07.07.2023 को आरोप बहस सुनकर अभियुक्त को धारा 182, 211 भा.द.सं. के आरोप की विशिष्टियां मौखिक रूप से सुनाई व समझाई गई तो उक्त अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया एवं अन्वीक्षा चाही।

3. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.ड. 1 संतरा, पी.ड. 2 मूलचन्द, पी.ड. 3 इन्द्र कुमार, पी.ड. 4 लाभ चन्द, पी.ड. 5 दौलतराम, पी.ड. 6 ढीमा, पी.ड. 7 सरजीत सिंह, पी.ड. 8 हरचन्द, पी.ड. 9 कमल कुमार, पी.ड. 10 चेतराम को परीक्षित कराया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी. 1 लगायत प्रदर्श पी. 15 को प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराया।

4. अभियोजन द्वारा साक्ष्य समाप्त किये जाने के पश्चात अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. किया गया, जिसमें उसने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को

गलत होना बताते हुए स्वयं का निर्दोष होना व झूठा फसाया जाना तथा साक्ष्य सफाई पेश करने इनकार किया।

5. उभय पक्षों द्वारा साक्ष्य समाप्त किये जाने के पश्चात बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित हैं। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे।

6. इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्ता ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए तर्क दिया कि पीड़िता संतरा व अन्य महत्वपूर्ण साक्षी मूलचन्द, ढीमा देवी ने परिवाद में वर्णित तथ्यों की पूर्ण रूप से पुष्टि की है तथा गांव वालों के दबाव में आकर बयान व शपथ पत्र दिये हैं, जबकि संतरा के साथ इन्दर द्वारा बलात्कार की वारदात की गयी थी। इन्दर की घटनास्थल पर मौजूदगी नहीं होने के संबंध में पत्रावली पर किसी प्रकार का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है और न ही उसकी कोई कॉल डिटेल ही पेश की गयी है तथा न ही कोई परीक्षा का प्रवेश पत्र पेश किया गया है तथा इन्दर का घ ाटना की दिनांक 16.05.2014 को गांव बहादुरपुर में शादी में उपस्थित होना अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है। स्वयं धारा 182,211 का परिवाद प्रस्तुतकर्ता साक्षी चेतराम ने साक्ष्य में इस बात को स्वीकार किया है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण एफआईआर नं. 231/14 में एफ.आर. दी गयी थी। प्रकरण में परीक्षित अन्य गवाहन के कथनों में गंभीर विरोधाभास हैं तथा अभियोजन की ओर से ऐसी कोई विश्वसनीय एवं सुदृढ़ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित होता हो। अतः पत्रावली पर अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराधों को सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। ऐसे में अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

7. उभय पक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत मामले में न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

(1) क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 17.05.2014 को न्यायालय ए.सी.जे.एम. लक्ष्मणगढ में इन्दर पुत्र रामसहाय के विरूद्ध जरिए परिवाद पत्र मिथ्या इतिला कि दिनांक 16.05.14

की रात्रि करीब 8 बजे परिवादी/अभियुक्त लेखराम की बहिन संतरा के साथ जंगल में गोडावाले खेत पर इन्दर द्वारा जबरदस्ती बलात्कार करने की इस आशय से दी कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग उक्त इन्दर को क्षति कारित करने के लिए करे ?

(2) क्या अभियुक्त लेखराम ने अपनी बहिन संतरा के साथ इन्दर द्वारा जबरदस्ती बलात्कार करने का मिथ्या आरोप इन्दर को क्षति कारित करने के आशय से लगाया गया ?

(3) यदि हां, तो उचित दण्ड क्या हो ?

8. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 182, 211 के अपराधों को कारित किये जाने का आरोप है। अभियुक्त पर आरोपित अपराधों को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है एवं अभियोजन पक्ष पर उक्त अपराधों को साबित करने की सीमा युक्तियुक्त संदेह से परे है।

9. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु संख्या 1 व 2 के संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण इस प्रकार से है कि सर्वप्रथम गवाह पी.ड. 8 हरचन्द की साक्ष्य का अवलोकर करें तो गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किये हैं कि दिनांक 09.06.2014 को थाना लक्ष्मणगढ में एसएचओ के पद पर कार्यरत होना, उस दिन न्यायालय एसीजेएम लक्ष्मणगढ से 156(3) सीआरपीसी के तहत एक परिवाद जरिए डाक प्राप्त हुआ जो परिवादी लेखराम द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किया था जो प्रदर्श पी 1 प्राप्त होने पर इसके द्वारा मुकदमा सं. 231/14 धारा 376, 323 भा.द.सं. दर्ज कर तफतीश स्वयं के द्वारा शुरू की गयी। प्रदर्श पी 1 पर ए से बी परिवादी लेखराम के हस्ताक्षर तथा सी से डी कार्यवाही पुलिस मेरे निर्देशन में अंकित की गयी, जिस पर इ से एफ इसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 10.07.14 को उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पत्रावली वास्ते अनुसंधान सी.ओ. साहब लक्ष्मणगढ को भिजवायी गयी। बाद अनुसंधान सी.ओ. साहब द्वारा उक्त प्रकरण में अनुसंधान से अदम वकू आमदन झूठ का पाया जाने पर पत्रावली नतीजा दिये जाने हेतु थाने पर भिजवायी गयी। जिस पर इसके द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अदम वकू आमदन झूठ मानते हुए अंतिम नतीजा न्यायालय के समक्ष पेश किया था। एफआईआर नं. 23/14,49/14,186/14,188/14 की प्रथम सूचना सूचना रिपोर्ट व अंतिम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां इसके द्वारा जारी की गयी थी जो प्रदर्श पी 8 लगा. प्रदर्श पी 15 हैं,

जिन पर इसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के दौरान कथन किया है कि **यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 1 पर लेखराम के जो हस्ताक्षर हैं, मेरे सामने नहीं किये थे**। यह उसे ध्यान नहीं है कि इन्द्र के परिवार द्वारा लेखराम के खिलाफ 376 आईपीसी का मुकदमा दर्ज हुआ हो। **यह कहना सही है कि उक्त मुकदमे का अनुसंधान इसके द्वारा नहीं किया गया, सी.ओ. साहब द्वारा किया गया था। यह कहना भी सही है कि इस प्रकरण में इसके द्वारा किसी गवाह के बयान नहीं लिये गये और न ही नक्शा मौका बनाया गया। यह सही है कि प्रदर्श पी 8 लगायत प्रदर्श पी 15 में लेखराम द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं करायी गयी है।**

10. गवाह पी.ड. 7 सरजीत सिंह के द्वारा प्रकरण में अनुसंधान किये जाने के संदर्भ में कथन करते हुए जाहिर किया है कि दौराने अनुसंधान घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका घटनास्थल कसीद किया जो प्रदर्श पी 2 है, जिस पर ए से बी पीड़िता के हस्ताक्षर तथा सी से डी इसके हस्ताक्षर हैं तथा एक्स वाई जेड स्थान पर गवाहों की अंगूठा निशानी है। गवाहन लेखराम, संतरा, मोरचंद, ढीमादेवी, इन्द्र कुमार, लाभ चंद, दौलतराम, मोहनलाल, कमलराम के बयान लेखबद्ध किये गये। पीडिता संतरा उर्फ सुमित्रा के बयान धारा 164 सीआरपीसी के तहत लेखबद्ध किये गये, जो प्रदर्श पी 4 है। दौराने तफतीश दिनांक 12.07.14 को परिवादी तथा पीड़िता द्वारा एक शपथ पत्र प्रदर्श पी 3 इसके समक्ष पेश पेश किया गया जिस पर सी से डी इसका नोट अंकित है तथा इ से एफ इसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 16.08.14 का लेखबद्ध शपथ पत्र परिवादी लेखराम द्वारा मय पीडिता के इसके समक्ष पेश किया जो प्रदर्श पी 6 है जिस पर ए से बी इसका पृष्ठांकन व इसके हस्ताक्षर हैं। एफआईआर नंबर 23/14,49/14, 186/14,188/14 की प्रथम सूचना सूचना रिपोट व चार्जशीट थानाधिकारी से प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली है। संपूर्ण तफतीश से मामला अदम वकवा झूठा पाया। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही 182,211 में कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक अलवर के माध्यम से थानाधिकारी लक्ष्मणगढ को भेजी जिसने न्यायालय में इश्तगासा 182,211 आईपीसी पेश किया। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि आज इसके ध्यान नहीं है कि इन्द्र वगैरा द्वारा लेखराम के विरूद्ध 376 का मुकदमा दर्ज हुआ हो और इसने अनुसंधान किया हो। **यह सही है कि प्रदर्श पी 3 पर लेखराम और संतरा द्वारा जो हलफनामा पेश किया गया है, उस पर जो उनकी पहचानकर्ता है, न तो इसके द्वारा उनके कोई बयान लिये गये और न ही कोई नोटेरी के बयान लिये**

गये और न ही अनुसंधान किया गया।

11. पी.ड. 10 चेतराम ने कथन किया है कि वर्ष 2016 में थानाधिकारी लक्ष्मणगढ के पद पर था। इसकी तैनाती के दौरान मुकदमा नंबर 231/14 धारा 376,323 आईपीसी की पत्रावली न्यायालय से एफ.आर. अदम वकु झूठ में नतीजा स्वीकार होकर आया था जिसमें इसके द्वारा परिवादी लेखराम के विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर धारा 182, 211 आईपीसी के अन्तर्गत इश्तगासा एसीजेएम न्यायालय में पेश किया। उक्त साक्षी ने **प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि यह कहना सही है कि इसके द्वारा मुकदमा संख्या 231/14 की तफतीश नहीं की गयी थी। यह कहना सही है कि इश्तगासा के साथ पेश पत्रावली पर कॉल डिटेल संलग्न नहीं है। यह कहना सही है कि इश्तगासा में तथाकथित आरोपी इन्दर का दिनांक 09.04.2014 को पेपर देने बानसूर कॉलेज में जाना एवं घटना के समय घटनास्थल रोनीजा जाट में उपस्थित नहीं होना अंकित किया हुआ है, इस संबंध में पत्रावली पर इन्दर का बानसूर में उपस्थित होने बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। दिनांक 10.05.2014 से 18. 05.2014 तक इन्दर कहीं शादी में रहा हो ऐसा कोई दस्तावेज, फोटो, वीडियो वगैरा पत्रावली पर मौजूद नहीं है और न ही इसके द्वारा इश्तगासे के साथ संलग्न किया गया है। प्रदर्श पी 3 के जिमन नंबर 4 लेखराम ने उस समय इसलिए दिया क्योंकि उस समय संतरा नाबालिक थी। प्रदर्श पी 3 के अनुसार पक्षकारों में आपस में राजीनामा हो गया जिसके कारण 231/14 की पत्रावली में एफ.आर. दी गयी**।

12. पी.ड. 1 संतरा प्रकरण की महत्वपूर्ण साक्षी है जिसके संबंध में हस्तगत प्रकरण के अभियुक्त लेखराम तथा ए.सी.जे.एम. न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद प्रदर्श पी 1 का परिवादी भी है, जिस परिवाद में उसके द्वारा उक्त अभियोजन साक्षी संतरा के विरूद्ध इन्दर द्वारा बलात्कार करने के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। **उक्त साक्षी ने न्यायालय में अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि 8–10 साल पहले की बात है, मैं रात को गोंडा वाले खेत पर जंगल होने गयी थी। मैं जंगल होकर आ रही थी तो उसने मेरी कोरी भर ली और मेरा नाड़ा खोल दिया। मेरी मर्जी के खिलाफ उसने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं वहां से आकर मेरे मम्मी ढीमा देवी और पिता मूलचन्द के पास गयी और सारी बात बतायी**। परिवाद मेरे भाई ने किया था जो प्रदर्श पी 1 है। शपथ पत्र प्रदर्श पी 3 पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। मेरे पुलिस में बयान हुए थे जो गांव वालों ने जबरदस्ती करवाये थे। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था

जो प्रदर्श पी 2 है तथा मेरे कोर्ट में बयान हुए थे जो प्रदर्श पी 4 है।

13. उक्त साक्षी को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर जिरह में कथन किया है कि **मेरे कोर्ट में जो बयान हुए थे, वह गांव वालों के दबाव में दिये थे। इस्तगासा प्रदर्श पी 1 पढकर बताया, उसने ऐसा होना बताया। शपथ पत्र प्रदर्श पी 3 विश्राम सरपंच के दबाव में आकर लिखवाया था और कहा था कि इस पर साईन कर दे नहीं तो तेरे को जान से मार देंगे और तेरे परिवार वालों को गांव में रहने नहीं देंगे। मेरे पुलिस में बयान हुए थे जो गांव वालों ने दबाव में कराये थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी 5 का ए से बी भाग इसने पुलिस को नहीं दिया। मैं पढी–लिखी नहीं हूं। हमने जो मुकदमा दर्ज कराया उसमें पुलिस ने क्या लिखा मुझे नहीं पता। शपथ पत्र बाबत राजीनामा प्रदर्श पी 6 इसने गांव वालों के दबाव में दिया था। प्रदर्श पी 6 पर एक्स मार्क पर अंगूठा लगाया था जो इसने दबाव में आकर लगाया था। गांव वालों ने इसके साथ इन्दर द्वारा बलात्कार करने वाली बात के बाबत राजीनामा जबरदस्ती लिखवाया है। यह कहना गलत है कि इन्दर ने बलात्कार नहीं किया हो तथा यह भी गलत है कि वह राजीनामा होने बाबत झूठ बोल रही है।** उक्त साक्षी ने अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में कथन किया है कि यह घटना इंदर ने मेरे साथ बलात्कार किया था जो घटना इसने अपने भाई को बतायी थी, वो ही घटना इसके भाई ने दर्ज करायी थी। प्रदर्श पी 3 राजीनामा पर जो दस्तखत कराये थे वह मेरे भाई लेखराम, मेरी मां की अंगूठा निशानी गांव वालों ने दबाव देकर करवाये थे। प्रदर्श पी 4 कोर्ट में जो मेरे 164 के बयान हुए थे, वह इसने गांव वालों के डर के कारण दिये थे, जबकि इसके साथ इन्दर ने बलात्कार किया था।

14. पी.ड. 2 मूलचन्द जो कि अभियोजन साक्षी पी.ड. 1 संतरा का पिता है, वह भी प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा इस गवाह ने भी बयान देने की दिनांक से **करीब 10 साल पहले सायं 8 बजे उसकी लड़की संतरा के साथ जंगल में इन्दर द्वारा बलात्कार किये जाने के कथन किये हैं, जिसकी रिपोर्ट इसके लड़के लेखराम द्वारा करायी जाना तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 पर स्वयं की अंगूठा निशानी होना जाहिर किया है।** उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि यह कहना गलत है कि हमारे खिलाफ मुकदमा करवाने के बाद इसकी लड़की ने रामसहाय वगैरा पर दबाव बनाने के लिए इन्दर के विरूद्ध बलात्कार करने का इस्तगासा इसके लड़के ने किया हो। पुलिस बयान प्रदर्श पी 7 का ए से बी, सी से डी भाग पढकर सुनाये जाने पर

गवाह ने ऐसा बयान देने से इनकार किया। यह कहना गलत है कि इसके लड़के लेखराम ने इन्दर के द्वारा इसकी लड़की संतरा से बलात्कार किये जाने बाबत झूठा इस्तगासा कोर्ट में पेश किया हो।

15. पी.ड. 3 इन्द्र कुमार ने अपने कथनों में लेखराम द्वारा उसके विरूद्ध बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया जाना जाहिर किया है तथा कथन किया है कि दिनांक 16.05.2014 को उसकी बीएससी प्रथम वर्ष की परीक्षाऐं बानसूर में चल रही थी तथा वह अलवर में किराये के मकान में रहता था। उसके द्वारा दिनांक 16.05.2014 को लेखराम की बहिन संतरा के साथ बलात्कार नहीं किया, झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल निकलवायी थी। पुलिस ने मुकदमा झूठा मानते हुए एफआर लगाई थी। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि **लेखराम के घर के पीछे खेत हैं, जिनको गोंडावाला खेत बोलते हैं या क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। मेरे बयान थानेदार जी ने लिये थे जिनका नाम हरचंद था और किसी ने बयान नहीं लिये थे। मैं दिनांक 10.05.2014 से 18.05.2014 तक बहादुरपुर गांव में शादी में था, शादी 16 तारीख की थी। मैंने उक्त दिनांक 16.05.2014 की गणगोर व रेखा की शादी का कोई कार्ड पुलिस को नहीं दिया था। मैंने प्रवेश पत्र पुलिस को दिया था जिसमें तारीख लिखी होगी।**

16. पी.ड. 4 लाभचंद, पी.ड. 5 दौलतराम ने बयान दिया है कि दिनांक 10.05.2014 से 18.05.2014 तक इन्दर हमारे घर पर गांव बहादुरपुर में ही था जो विवाह के काम के लिए बुलाया था। **साक्षी लाभचंद ने जिरह में कथन किया है कि मोहनलाल की लड़की कविता और ललिता की शादी थी। यह सही है कि शादी दिनांक 14.05.2014 को ही थी। साक्षी दौलतराम ने जिरह में कथन किया है कि इन्दर बहादुरपुर में 14.05.2014 को आया था, उससे पहले इन्दर विवाह में नहीं आया।**

17. पी.ड. 9 कमल कुमार ने दिनांक 10.05.2014 से 18.05.2014 तक इन्दर गांव बहादुरपुर में गणगोर की शादी में जाना कहता है। किन्तु जिरह में कहता है कि **यह कहना गलत है कि गणगोर की शादी दिनांक 16.05.2014 की थी, बल्कि उसकी शादी 14.05.2014 को हुई थी।**

18. पी.ड. 6 ढीमादेवी ने साक्ष्य दी है कि आज से करीब 9–10 साल पहले की बात है, संतरा के साथ इन्दर ने गलत काम किया था, जिसकी रिपोर्ट इसके लड़के लेखराम ने करवायी थी। नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 2, शपथ पत्र प्रदर्श पी 3

पर गवाह के अंगूठा निशानी के बाबत पूछने पर गवाह ने दिखायी नहीं देना जाहिर किया है। उक्त साक्षी ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह करने पर जाहिर किया है कि **यह कहना सही है कि इसकी लड़की संतरा के साथ इन्दर ने बलात्कार किया था जिसकी रिपोर्ट इन्होंने दर्ज करवायी थी।**

19. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह जाहिर होता है कि गवाह पी.ड. 8 हरचंद के द्वारा दिनांक 09.06.2014 को थाना लक्ष्मणगढ में एसएचओ के पद पर कार्यरत होना व उस दिन न्यायालय से 156(3) सीआरपीसी के तहत एक परिवाद जरिए डाक प्राप्त हुआ जो परिवादी लेखराम द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किया था जो प्रदर्श पी 1 प्राप्त होने पर इसके द्वारा मुकदमा सं. 231/14 धारा 376, 323 भा.द.सं. दर्ज कर तफतीश स्वयं के द्वारा शुरू की गयी एवं दिनांक 10.07.2014 को उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पत्रावली सी.ओ. साहब को भिजवायी गयी। उक्त साक्षी के द्वारा जिरह में किये गये कथनों से यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि इसके द्वारा प्रकरण में किसी भी गवाह के बयान नहीं लिये गये और न ही नक्शा मौका बनाया गया। अर्थात उक्त साक्षी के मुख्य परीक्षण में जिरह के दौरान किये गये कथनों से यह स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि इसके द्वारा प्रकरण में केवल एफआईआर चॉक की गयी थी, अनुसंधान के संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अतः उक्त साक्षी के कथनों से यह सुनिश्चित नहीं होता है कि अभियुक्त लेखराम द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रदर्श पी 1 मिथ्या दर्ज करवाया गया हो और संतरा के साथ इन्दर द्वारा बलात्कार की घटना कारित नहीं की गयी हो। उक्त साक्षी के जिरह में स्वीकार किये गये कथन कि प्रदर्श पी 8 लगा. प्रदर्श पी 15 में लेखराम द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं करायी गयी है, जिससे भी यह नहीं कहा जा सकता कि लेखराम द्वारा प्रदर्श पी 8 लगा. प्रदर्श पी 15 के बाबत दबाव बनाने के लिए उक्त परिवाद पेश किया गया हो।

20. साथ ही अभियोजन साक्षी 10 चेतराम द्वारा न्यायालय में परिवादी लेखराम के विरूद्ध धारा 182, 211 आईपीसी के अन्तर्गत इस्तगासा पेश करना बताया है, किन्तु उक्त साक्षी के मुख्य परीक्षण व प्रतिपरीक्षण में किये गये कथनों से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि उसके द्वारा भी प्रकरण का अनुसंधान नहीं किया गया है और उक्त साक्षी ने उसके द्वारा प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा 182, 211 भा.द.सं. को न्यायालय में प्रदर्शित भी नहीं करवाया गया है। साथ ही उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण के दौरान आयी

साक्ष्य से भी यह स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होता है कि अभियुक्त लेखराम द्वारा प्रदर्श पी 1 परिवाद न्यायालय में मिथ्या पेश किया गया था, क्योंकि इसके संबंध में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उक्त साक्षी से जो जिरह की गयी है, उससे अभियोजन का मामला संदेहास्पद प्रतीत होता है। क्योंकि उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण के दौरान आयी साक्ष्य से अभियोजन द्वारा न तो इस्तगासा के साथ पत्रावली पर इन्दर की कोई कॉल डिटेल संलग्न है और इस्तगासा में तथाकथित आरोपी इन्दर का दिनांक 09.04.2014 को पेपर देने बानसूर कॉलेज में जाना/उपस्थित होना एवं घटना के समय घटना स्थल रोनीजा जाट में उपस्थित नहीं होना आदि के संबंध में पत्रावली पर कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है तथा दिनांक 10.05.2014 से 18.05.2014 तक इन्दर कहीं शादी में रहा हो ऐसा कोई दस्तावेज, फोटो, वीडियो वगैरा पत्रावली पर मौजूद नहीं है और न ही उक्त साक्षी के द्वारा इस्तगासे के साथ संलग्न किया गया है। इसके साथ ही उक्त साक्षी ने यह भी कथन किया है कि प्रदर्श पी 3 के जिमन नंबर 4 लेखराम ने उस समय इसलिए दिया क्योंकि उस समय संतरा नाबालिक थी। प्रदर्श पी 3 के अनुसार पक्षकारों में आपस में राजीनामा हो गया जिसके कारण 231/14 की पत्रावली में एफ.आर. दी गयी। अर्थात उक्त साक्षी के उक्त कथन से यह प्रकट होता है कि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने के कारण प्रदर्श पी 3 लिखा गया और इसी आधार पर प्रकरण में एफ.आर. पेश की गयी। साक्षी पी.ड. 7 सरजीत सिंह के द्वारा प्रकरण में अनुसंधान किया जाने के संदर्भ में कथन किये हैं तथा उक्त साक्षी ने प्रदर्श पी 3 व प्रदर्श पी 6 को प्रकरण में अदम वकु आमदन झूठ का माना जाना मुख्य आधार लिया है, जबकि प्रदर्श पी 3 के संबंध में उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के दौरान विवादास्पद कथन किये हैं, जैसे कि प्रदर्श पी 3 पर लेखराम और संतरा द्वारा जो हलफनामा पेश किया गया है, उस पर जो उनकी पहचानकर्ता है, न तो इसके द्वारा उनके कोई बयान लिये गये और न ही कोई नोटेरी के बयान लिये गये और न ही अनुसंधान किया गया। जबकि प्रदर्श पी 3 परिवादी लेखराम व पीड़िता संतरा द्वारा क्यों और किन परिस्थितियों में लेखबद्ध किया गया, अर्थात प्रदर्श पी 1 के शपथकर्ताओं की ऐसी क्या परिस्थितियां रही जो उनके द्वारा उक्त शपथ पत्र तैयार किया गया, जिसके संबंध में उक्त साक्षी ने किसी प्रकार का कोई अनुसंधान नहीं किया जाना अभियोजन के मामले को संदेहपूर्ण बनाता है। जबकि प्रकरण की पीड़िता अभियोजन साक्षी 1 संतरा ने न्यायालय में अपने सशपथ बयानों में परिवाद प्रदर्श पी 1 में वर्णित तथ्यों का पूर्ण रूप से समर्थन

करते हुए स्पष्ट साक्ष्य प्रदान की है तथा उक्त साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है एवं पक्षद्रोही घोषित हुई है। जिसने कथन किये हैं कि उसके कोर्ट में जो बयान हुए थे, वह गांव वालों के दबाव में दिये थे। इस्तगासा प्रदर्श पी 1 पढकर बताया, उसने ऐसा होना बताया। शपथ पत्र प्रदर्श पी 3 विश्राम सरपंच के दबाव में आकर लिखवाया था और कहा था कि इस पर साईन कर दे नहीं तो तेरे को जान से मार देंगे और तेरे परिवार वालों को गांव में रहने नहीं देंगे। मेरे पुलिस में बयान हुए थे जो गांव वालों ने दबाव में कराये थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी 5 का ए से बी भाग इसने पुलिस को नहीं दिया। मैं पढी–लिखी नहीं हूं। हमने जो मुकदमा दर्ज कराया उसमें पुलिस ने क्या लिखा मुझे नहीं पता। शपथ पत्र बाबत राजीनामा प्रदर्श पी 6 इसने गांव वालों के दबाव में दिया था। प्रदर्श पी 6 पर एक्स मार्क पर अंगूठा लगाया था जो इसने दबाव में आकर लगाया था। गांव वालों ने इसके साथ इन्दर द्वारा बलात्कार करने वाली बात के बाबत राजीनामा जबरदस्ती लिखवाया है। यह कहना गलत है कि इन्दर ने बलात्कार नहीं किया हो तथा यह भी गलत है कि वह राजीनामा होने बाबत झूठ बोल रही है। इसके साथ ही पी.ड. 2 मूलचन्द व पी.ड. 6 ढीमा देवी भी प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिन्होंने भी परिवाद प्रदर्श पी 1 में वर्णित तथ्यों की अपने सशपथ बयानों में पूर्ण रूप से ताईद की है तथा उक्त साक्षियों ने घटनास्थल के नक्शा मौका का भी साक्ष्य में समर्थन किया है एवं उक्त दोनों ही गवाहन ने गांव वालों के दबाव में प्रदर्श पी 3 पर अपने अंगूठा निशानी कराया जाना जाहिर किया है तथा साक्षी मूलचन्द ने प्रदर्श पी 7 पुलिस बयान का ए से बी व सी से डी भाग बताने से इनकार किया है। अतः उक्त साक्षियों के कथनों से यह स्पष्टतः प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त लेखराम द्वारा परिवाद प्रदर्श पी 1 मिथ्या दर्ज कराया गया हो।

21. पी.ड. 3 इन्दर के विरूद्ध अभियुक्त लेखराम द्वारा प्रदर्श पी 1 संस्थित करवाया गया था। जिसने अपने बयानों में वर्ष 2014 में बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र होना और उस वक्त उसकी परीक्षाऐं बानसूर में चल रही होना तथा अलवर में किराये के मकान में रहना तथा जिस वक्त घटना हुई थी, उस वक्त स्वयं का गांव में मौजूद नहीं होना कहता है तथा यह भी कहता है कि पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल निकलवायी थी। अर्थात उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 16.05.2014 को स्वयं का बहादुरपुर शादी में जाने का कोई कथन ही नहीं किया है, बल्कि अलवर किराये के

मकान में रहना व बानसूर कॉलेज में परीक्षाएं चल रही होना बताया है तथा जिरह में दिनांक 10.05.2014 से 18.05.2014 तक बहादुरपुर में शादी में जाना कहता है। उक्त गवाह की साक्ष्य के संदर्भ में गवाह पी.ड. 4 लाभचंद व पी.ड. 5 दौलतराम, पी.ड. 9 कमल कुमार की साक्ष्य का अवलोकन करें तो उक्त गवाहन ने भी इन्दर का दिनांक 10.05.2014 से दिनांक 18.05.2014 तक बहादुरपुर शादी में जाना तथा शादी दिनांक 14.05.2014 की होना बताया है, जबकि साक्षी इन्दर ने उक्त गवाहन के विपरीत शादी 16.05.2014 की होना बताया है। ठीक इसी प्रकार एक ओर जहां साक्षी इन्दर व कमल कुमार गांव बहादुरपुर में गणगोर व रेखा की शादी होना कहते हैं, वहीं लाभचंद व दौलतराम गांव बहादुरपुर में मोहनलाल की दो लड़कियों कविता और ललिता की शादी होना कहते हैं। इस प्रकार उपरोक्त गवाहन के कथनों में उत्पन्न हुए गंभीर विरोधाभासों से इन्दर का वक्त घटना गांव रोनीजा जाट में उपस्थित नहीं होना एवं गांव बहादुरपुर में उपस्थित होना संदेहास्पद प्रतीत होता है। इसके साथ ही साक्षी इन्दर पुलिस द्वारा उसकी कॉल डिटेल निकलवायी जाना व पुलिस को स्वयं का प्रवेश पत्र देना कहता है, किन्तु पत्रावली पर न तो उसकी कोई डिटेल व न ही प्रवेश पत्र उपलब्ध है, जिससे भी यह साबित नहीं होता है कि दिनांक 16.05.2014 को साक्षी इन्दर घटनास्थल रोनीजाजाट में उपस्थित नहीं हो। अभियोजन साक्षी चेतराम जिसके द्वारा न्यायालय में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 182,211 भा.द.सं. का परिवाद पेश किया गया, जिसने अपने बयानों में इस बात को स्वीकार किया है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया था इसलिए 231/14 की पत्रावली में एफ.आर. दी थी।

22. इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य के संपूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध इस तथ्य को साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 17.05.2014 को न्यायालय ए.सी.जे.एम. लक्ष्मणगढ में इन्दर पुत्र रामसहाय के विरूद्ध जरिए परिवाद पत्र मिथ्या इतिला कि दिनांक 16.05.14 की रात्रि करीब 8 बजे परिवादी/अभियुक्त लेखराम की बहिन संतरा के साथ जंगल में गोंडावाले खेत पर इन्दर द्वारा जबरदस्ती बलात्कार करने की इस आशय से दी कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग उक्त इन्दर को क्षति कारित करने के लिए करे तथा अभियुक्त द्वारा मिथ्या आरोप इन्दर को क्षति कारित करने के आशय से लगाया गया। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 182, 211 भा. द.सं. के आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। ऐसे में

अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराधों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

(गोपाल सैनी)
अपर सेशन न्यायाधीश,
लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर

– <u>आदेश</u> –

23. परिणामस्वरूप अभियुक्त लेखराम पुत्र श्री मूलचन्द उम्र करीब 35 साल, निवासी ग्राम रोनीजा जाट थाना लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर (राज0) को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 182, 211 भा.द.सं. के तहत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

24. अभियुक्त के हाजरी बाबत प्रस्तुत पूर्व जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(गोपाल सैनी)

25. निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन सुनाया गया।

(गोपाल सैनी)